विसंगति : कॉर्पोरेट्स आम आदमी की तुलना में कहीं कम टैक्स अदा कर रहे हैं

जीएसटी के सरलीकरण से रुकेगा आर्थिक असमानताओं का बढ़ना

जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, 'इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, सिवाय मृत्यु और करों के।' भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को देश की जटिल कर प्रणाली को सरल बनाने, दोहरे कराधान को समाप्त करने और एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, यह विसंगतियों में उलझा रहा है। ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि इससे व्यापारियों पर बोझ बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और गरीबों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जीएसटी को एक ऐसी प्रणाली में पुनः संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता है जो वास्तव में तर्कसंगत, न्यायसंगत और विकासोन्मुखी हो।

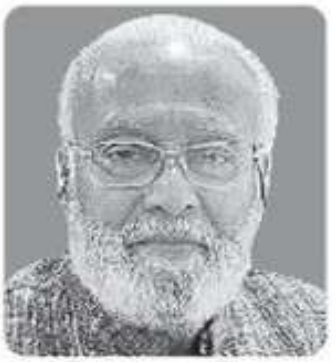

प्रदीप एस. मेहता
लेखक कट्स इंटरनेशनल के महामंत्री हैं
@patrika.com

भारत में कोविड महामारी के बाद आर्थिक सुधार के आकार में असमानता देखी गई है, जहां अमीरों को फायदा हुआ है, जबकि सबसे कमजोर तबके पीछे छूट गए हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाती है- क्या भारत की कर प्रणाली समाज के वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए है या उन पर अधिक बोझ डालने के लिए? एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे गरीब 50% लोग कुल जीएसटी राजस्व का 64.3% योगदान देते हैं, जबकि शीर्ष 10% केवल 3.9% का भुगतान करते हैं। पुनर्वितरण को बढ़ावा देने के बजाय, भारत की कर संरचना ने असमानता को और गहरा किया है, जहां कॉर्पोरेट्स आम आदमी की तुलना में कहीं कम टैक्स अदा करते हैं। अप्रत्यक्ष कर, विशेष रूप से जीएसटी, अपनी प्रतिगामी प्रकृति के कारण इस समस्या को और बढ़ा रहा है। 2020 तक, देश की कुल आय में निचले 50% लोगों की हिस्सेदारी घटकर मात्र 13% रह गई, जबकि वे राष्ट्रीय संपत्ति का केवल 3% हिस्सा ही रखते थे। वास्तविकता यह है कि लगभग 70% भारतीय एक बुनियादी, पोषणयुक्त आहार वहन नहीं कर सकते, जिसके कारण आहार-संबंधी बीमारियों से हर साल अनुमानित 1.7 मिलियन मौतें होती हैं। जीएसटी की प्रमुख चुनौतियों में इसकी असंगत कर श्रेणिय शामिल हैं। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के अनुसार, फोर्टिफाइड चावल पर कर बढ़ा दिया गया, जबकि यह कुपोषण को दूर करने के लिए एक आवश्यक कदम था। ऐसे आवश्यक खाद्य पदार्थों पर अधिक कर दरें उन्हें उन लोगों के लिए कम सुलभ बना देती हैं जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जिससे खाद्य असुरक्षा से निपटने के सरकारी प्रयासों का विरोधाभास उत्पन्न होता है। हाल ही 'पॉपकॉर्न विवाद' ने इस विनियामक अव्यवस्था को उजागर किया है। बिना पैक किया हुआ और बिना लेबल वाला नमकीन पॉपकॉर्न 5% कर के दायरे में आता है, जबकि उसका पहले से पैक किया गया संस्करण 12% और कारामेल (मीठा) पॉपकॉर्न 18% कर के अधीन है। इसका परिणाम कृत्रिम बाजार विभाजन, छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ और उपभोक्ता कीमतों पर सीधा प्रभाव- ये सभी जीएसटी के 'सरल और लाभकारी कर' होने के वादे के विपरीत हैं। यह कोई अकेला मामला नहीं है। 'पराठा बनाम रोटी' विवाद या पैक और बिना पैक की गई लस्सी के बीच कर असमानताओं को याद करें। ऐसी विसंगतियों ने हमेशा अनावश्यक मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया है, भ्रम पैदा किया है। पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों और स्नैक्स से परे, वर्गीकरण की यह अव्यवस्था अन्य उद्योगों तक फैली हुई है। पुराने वाहनों और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर उच्च और असंगत टैक्स दरें उनकी वहन क्षमता व बाजार की तरलता को प्रतिबंधित करती हैं। इस तरह की टैक्स विकृतियां उद्योगों में फैलती हैं जिससे मांग और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।

संक्षेप में, एक अधिक समावेशी कर नीति बनाने से आर्थिक असमानताओं को और बढ़ने से रोका जा सकता है। जीएसटी को अपने मूल उद्देश्य 'सरलता, निष्पक्षता और दक्षता' पर लौटने की आवश्यकता है। सरकार को विकृतियों को ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। भारत की बहु-स्तरीय जीएसटी संरचना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।